न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री भागीरथ राम आर०ए०एस

प्र०न० — 09/2019

अन्तर्गत : —

1. संतलाल पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. महेन्द्र पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. झाबर पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—प्रार्थी

बनाम

1. गुगनराम पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. ओमप्रकाश पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सजन कुमार पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुनिता पुत्री ताराचन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. मानसिंह पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :—श्री लीलाधर अग्रवाल प्रार्थी
श्री कृष्ण भारी अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः 23.02.2026

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा प्रार्थीगण के नाम से चक 3 ए.एम.एस. के खाता संख्या 145/2 में कुल 3.542 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित नकल जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना—पत्र है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम से चक 3 ए.एम.एस. के खाता संख्या 18/14 में कुल 3.542 हैक्टर एवं अप्रार्थी संख्या 5 के नाम से चक 3 ए.एम.एस. के खाता संख्या 90/87 में कुल 1.784 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने के लिए मुरबा नम्बर 67 के किला नम्बर 24 में उत्तर से दक्षिण की ओर स्वीकृतशुदा सरजा है [illegible] प्रार्थीगण मुरबा नम्बर 67 के किला नम्बर 21 ता 24 के उत्तरी दिशा में पूर्व से [illegible] एक—एक गट्ठा रास्ता जो मौके पर चालू है, का उपयोग करते है जो कि [illegible] प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का [illegible] अप्रार्थीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय प्रार्थना—पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:56:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण निम्न प्रकार से स्वीकृत फरमाया जावे :—

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

(क). प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 3 ए.एम.एस. के मुरबा नम्बर 67 कि किला नम्बर 21 ता 24 व मुरबा नम्बर 68 के किला नम्बर 25 में उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम एक–एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे एवं रास्ते में आई भूमि की एवज में प्रार्थीगण की चिपती भूमि भूमि में से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की जावे।

(ख). खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग). अन्य कोई अनुतोष बहक वादी हो तो दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामील उभयपक्ष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण कृषि भूमि में मुरबा नम्बर 67 के किला नम्बर 4, 7, 14, 17, 24 स्वीकृतशुदा रास्ता से आवागमन करते है। स्वीकृतशुदा रास्ता के चिपते ही मुरबा नम्बर 67 के किला नम्बर 21 ता 24 एवं मुरबा नम्बर 68 के किला नम्बर 25 के उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर व मुरबा नम्बर 68 के किला नम्बर 25 में ही पश्चिम दिशा से उतर से दक्षिण एक–एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ते में आई भूमि की एवज में मुरबा नम्बर 67 के किला नम्बर 21 की भूमि जो अप्रार्थीगण गुगनराम आदि के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, में से पूर्व की ओर मुरबा नम्बर 67 के किला नम्बर 22 के चिपती एक गट्ठा भूमि मानसिंह पुत्र आशाराम के नाम दर्ज की जाती है तो हम पक्षकारान को कोई उज्र व ऐतराज नहीं है इसी अनुसार हमारा राजीनामा हो चुका है।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभयपक्ष द्वारा मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन करने का निवेदन किया। अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक चक 3 ए.एम.एस. के मुरबा नम्बर 67 के किला नम्बर 21 ता 24 एवं मुरबा नम्बर 68 के किला नम्बर 25 के उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर व मुरबा नम्बर 68 के किला नम्बर 25 में ही पश्चिम दिशा से उतर से दक्षिण एक–एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ते में आई भूमि की एवज में मुरबा नम्बर 67 के किला नम्बर 21 की भूमि जो अप्रार्थीगण गुगनराम आदि के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, में से पूर्व की ओर मुरबा नम्बर 67 के किला नम्बर 22 के चिपती एक गट्ठा भूमि मानसिंह पुत्र आशाराम के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:56:45 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व, R.A.S
भादरा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़